भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2004

(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत पक्का आवास

2004. श्री धर्मबीर सिंह:

श्री तापिर गाव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत 8,21,190 पक्के आवासों के निर्माण के लिए व्यय की गई कुल लागत कितनी है;

(ख) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए पीएमएवाई-जी योजना के भावी विस्तार का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीएमएवाई-जी योजना के अंतर्गत कितने घर बनाए गए हैं, और इस क्षेत्र में कुल कितना व्यय हुआ है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर राज्यों , पहाड़ी राज्यों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सहित) में 1.30 लाख रुपये की प्रति इकाई सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों [उत्तराखंड , हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)] के लिए केंद्र और राज्य के बीच वित्तपोषण पद्धति 90:10 है, जबकि बाकी राज्यों के लिए 60:40 है

और विधानसभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% वित्तपोषण केंद्र द्वारा वहन किया जाता है। मंत्रालय ने योजना की शुरुआत अर्थात दिनांक 01.04.2016 से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 2,48,694.53 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश जारी किया है।

इकाई सहायता के अलावा , लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ अनिवार्य अभिसरण के माध्यम से अकुशल श्रम मजदूरी के 90/95 श्रम दिवसों की सुविधा प्रदान की जाती है। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता भी स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा या वित्तपोषण के किसी अन्य विशेषीकृत स्रोत के माध्यम से प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.06 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण मकानों के निर्माण के लिए "वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन" के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

(घ) हरियाणा के भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में योजना की प्रगति निम्नानुसार है:

[इकाई संख्या में]

जिला	राज्य द्वारा दिया गया लक्ष्य	स्वीकृत मकान	निर्मित मकान
भिवानी	1487	1272	823
चरखी दादरी	284	284	283
महेंद्रगढ़	2314	1551	585

* भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हरियाणा के भिवानी , चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिले शामिल हैं।

पीएमएवाई-जी के तहत केंद्रीय सहायता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक इकाई मानकर सीधे जारी की जाती है। विभिन्न जिलों में लाभार्थियों को ये निधि संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा जारी की जाती है। योजना की शुरुआत अर्थात 2016-17 से 07.03.2025 तक हरियाणा राज्य को 347.25 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश जारी किया गया है और राज्य ने 422.66 करोड़ रुपये का उपयोग करने की सूचना दी है जिसमें राज्य अंश भी शामिल है।

*****